पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

आर0पी0 चन्द (आईआरपीएस)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/अराज0
R.P. Chand (IRPS)
Dy.Chief Personnel Officer/N.G.

कार्यालय **महाप्रबन्धक (कार्मिक)**
गोरखपुर–273012
Office of the **General Manager(P)**
Gorakhpur-273012

सं0–E/573/5/3/VIII/Bill   दिनांक 07.04.2020

सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष,
प्रमुख वित्त सलाहकार,
पूर्वोत्तर रेलवे

विषय : अप्रैल 2020 के नियमित वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में।

कोविड–19 के प्रकोप के कारण सरकार द्वारा घोषित देशव्यापी लॉकडाउन से उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के मद्देनजर, विभिन्न कार्यालयों/फील्ड इकाइयों से इनपुट जी–5 (बिल से सम्बन्धित इनपुट डेटा) की हार्डकापी कार्मिक शाखा (बिल सेक्शन), महाप्रबन्धक (कार्मिक) कार्यालय, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को अप्रैल 2020 के माह के नियमित वेतन तैयार करने के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि कृपया अप्रैल 2020 के नियमित वेतन के लिए इनपुट जी–5 (बिल से सम्बन्धित इनपुट डेटा) की कॉपी निम्नलिखित व्हाट्सएप नंबर पर अग्रेषित कराने की व्यवस्था करें।

1.	श्री बसन्त लाल, वरि. कार्मिक अधिकारी/आर.पी. एवं बिल एवं समापक	9794840616
2.	श्री रविप्रकाश श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक/बिल	9794840636
3.	श्री कृष्ण मुरारी त्रिपाठी, कार्यालय अधीक्षक/बिल	9794840668

इनपुट जी–5 (बिल से सम्बन्धित इनपुट डेटा) अग्रेषित करने से पहले निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना भी सुनिश्चित करें :–

1. रेलवे बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों को ड्यूटी (Skeletal staff) के लिए बुलाया गया है। इसलिए सभी गैर–जरूरी कर्मचारियों को दिनांक 22.03.2020 से जब तक लॉकडाउन रहता है तब तक घर पर रहने और घर से कार्य करने की अनुमति दी गई है, ऐसे कर्मचारियों के वेतन कटौती नहीं की जायेगी।

2. ऐसे रेलकर्मी जो लॉकडाउन से पहले छुट्टी पर हैं और लॉकडाउन के कारण कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं, इन कर्मचारियों के वेतन में कटौती नहीं की जायेगी।

3. ऐसे रेलकर्मी जो लॉकडाउन से पहले अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, उनके वेतन से नियमानुसार कटौती की जायेगी।

4. लम्बी अवधि से अनुपस्थित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। अधीनस्थ कार्यालय प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि इसे विशेष रूप से इनपुट जी–5 (बिल से सम्बन्धित इनपुट डेटा) में उल्लिखित किया जाये। अगर इनपुट जी–5 (बिल से सम्बन्धित इनपुट डेटा) में इसका उल्लेख नहीं किया गया है और ऐसे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हो जाता है तो इसके लिए अधीनस्थ कार्यालय प्रभारी को जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

07/04/2020

Scanned by CamScanner

5. अप्रैल 2020 के वेतन से "पीएम केयर फंड" के लिए एक दिन के मूल वेतन के योगदान के लिए रेलकर्मियों से अपील पहले ही अलग से जारी की जा चुकी है। इनपुट जी–5 (बिल से सम्बन्धित इनपुट डेटा) की तैयारी के समय अनिच्छुक/कम कटौती के विकल्प वाले कर्मचारियों की सूची भी प्रदान की जायेगी।

6. अप्रैल 2020 के वेतन भुगतान के लिए, केवल मूल वेतन, डीए, परिवहन भत्ता और एचआरए और रनिंग कर्मचारियों ("बी" टूर–लोको पायलट और गार्ड) को रनिंग भत्ते जो सीधे सीएमएस सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते हैं का भुगतान किया जायेगा। अन्य भत्ते NDA, NHA, TA, OTA, KMA, (CLIs को) आदि, जहाँ उन्हें मानवीय जांच की आवश्यकता होती है, का भुगतान आगामी माहों में किया जायेगा।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों के मद्देनजर अधीनस्थ प्रभारी इनपुट जी–5 (बिल से सम्बन्धित इनपुट डेटा) की एक समेकित सूची (स्टेशन/बिल–यूनिट वार) तैयार कर, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी का पीएफ/कर्मचारी नंबर का उल्लेख हो, 10 अप्रैल 2020 तक स्पष्ट हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर के साथ उपरोक्त उद्धृत व्हाट्सएप मोबाईल नंबर पर अग्रेषित करने की व्यवस्था करें।

कृपया अप्रैल 2020 के नियमित वेतन की तैयारी के लिए उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पर प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

07/04/2020

(आर0पी0 चन्द)
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मंडल रेल प्रबन्धक/लखनऊ, इज्जतनगर एवं वाराणसी।
2. मुख्य कारखाना प्रबन्धक/यांत्रिक कारखाना, सिगनल कारखाना, ब्रिज वर्कशाप/गोरखपुर एवं इज्जतनगर कारखाना।
3. सभी कार्मिक अधिकारी/मुख्यालय, मंडल एवं मंडलेत्तर इकाई– कृपया अपने स्तर से उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. जनरल सेक्रेटरी/नरमू, एससी/एसटी एवं ओबीसी एसोसिएशन।

07/04/2020

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

Scanned by CamScanner